

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 698 /2020

इस कार्यालय के पत्रांक-का/283/अं.रे.-अर्म/पार० स्थाना/परि/गार्ड/सोन /19, दिनांक- 26.11.19 एवं मरेप्र(का.)एन एफ रेलवे, कटिहार मंडल के पत्र सं E/283/IRT/IDT(Optg)/ET/Pt.III, दिनांक-28.09.2020 द्वारा श्री रजनीश कुमार सिंह, माल गार्ड, अधीन स्टेधी/बरौनी सोनपुर मंडल एवं श्री वृज भूषन मिश्र, माल गार्ड, कटिहार मंडल एन एफ रेलवे के साथ वेतन बैंड 5200-20200 +जीपी- 2800 लेवल में दोनों मंडलों की सहमती प्राप्त है पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के साथ अनुमेय होगा।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामले से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(विजय इंजीनियर)

सकाधि

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

दिनांक:-18.12.2020

सं०:- का/283/अं.रे.-अर्म/पार०स्थाना/परि/गार्ड/सोन /19.

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वरि.मंडल परि प्रबंधक /वमविप्र /सोनपुर।
02. मरेप्र(का०)एन एफ रेलवे, कटिहार मंडल
03. स्टेधी/बरौनी-कर्मचारी को अद्यतन अवकाश विवरण के साथ कार्यालय कार्य दिवस में विरमित कर भेजने की व्यवस्था करें।
04. मुख्य कार्याधी /बिल /बरौनी /सोनपुर।
05. संबंधित अभ्यर्थी।
06. अभिलेख प्रति।
07. कार्यालय आदेश प्रति।
08. मंडलमंत्री /ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो० /सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर